न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (RAS)

दावा संख्या	**रजू दिनांक**	**निर्णय दिनांक**
155 / 2022	28.06.2022	28.07.2023

/ /उनवान/ /

1 शिवशंकर उर्फ गोरीशंकर पुत्र ब्रहमदत्त जाति ब्राह्मण निवासी मनेठी तह0 मुण्डावर, अलवर।

:– वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, अलवर।

:– प्रतिवादी

2 अजीत
3 महेन्द्र
4 राजेश पुत्रान कैलाश
5 सन्तोष देवी पत्नि कैलाश
6 राजेश
7 राकेश
8 सुरेश
9 अशोक पुत्रान नरोतम उर्फ नरेश कुमार
10 गीतादेवी पत्नि नरोतम उर्फ नरेश कुमार
11 कांतीप्रसाद
12 अशोक कुमार पुत्रान जगदीश
13 संजय कुमार
14 विष्णु कुमार पुत्रान रामनिवास
15 बर्फीदेवी पत्नि रामनिवास
16 भानूप्रकाश
17 केवलराम पुत्रान ओमप्रकाश
18 सावत्री पत्नि ओमप्रकाश जातियान ब्राह्मण निवासीयान मनेठी तह0 मुण्डावर, अलवर।

:– तर0 प्रतिवादीगण

दावा– इश्तकरारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज।

उपस्थितिः– श्री शशीकान्त शर्मा – वकील वादी

निर्णय दिनांक– 28.07.2023

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारांश रहा कि हाल आराजी खसरा नम्बर 451/0.06, 469/0.06, 567/0.77, 568/2.14 है0 का 43/180 भाग व ख0नं0 569/2.78 है0 का 43/180 भाग वाके ग्राम मनेठी तह0 मुण्डावर में

स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी। विवादित आराजी मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण के पूर्वज बह्मदत्त व नन्दलाल के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है जिस आराजी पर हमारे पूर्वज अपने जीवनकाल में काबिज होकर काश्त करते रहे हैं तथा उनके फौत होने के बाद आराजी मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण को जरिये विरासत प्राप्त हुई है जिस पर मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्सेनुसार काबिजकाश्त है तथा आराजी बाबत सहखातेदार से कोई विवाद नहीं है इसलिए दावा में सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वर्तमान सैटलमेंट सम्वत् 2070 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गत ख0नं0 से उपरोक्त हाल खसरा नम्बरान पैमूद करते समय खिलाफ मौका व खिलाफ कानून व बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण के नाम का अंकन को हजफ कर नामालूम पुत्र नामालूम पुत्र दर्ज कर दिया जो अंकन खिलाफ मौका व खिलाफ कानून किया गया है इसलिए मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नामालूम पुत्र नामालूम के अंकन को हजफ कराया जाकर व विवादित आराजी का अपने आपको हिस्सेनुसार कब्जेकाश्त खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है आदि-आदि अंकित करते हुए वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री इश्तकरारहक मय दूरूसती इस प्रकार पारित की जावे कि उक्त विवादित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नामालूम पुत्र नामालूम के अंकन को हजफ कर मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण को हिस्सनुसार विवादित आराजी का कब्जेकाश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी प्रकार नाम का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दूरूस्त फरमाया जावे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी तर0 प्रतिवादीगण सं0 2 ल0 18 की ओर से श्री सीताराम अधिवक्ता ने अंडर टेंकिंग दी तथा प्रतिवादी असल की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब पैरोकार पेश किया जो शामिल पत्रावली है मुताबिक प्रस्तुत जवाब सरकार बिन्दू सं0 1 राजस्व रिकॉर्ड स्तर तक स्वीकार है एवं बिन्दू सं0 2 ल0 5 वादी स्वयं सिद्ध करे, बिन्दू सं0 6, 7, 8 कानूनन होकर न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार से संबंधित है अंकित कर पेश है।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2071 प्रदर्श-1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2068-2071 किता-4 प्रदर्श-2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 वर्ष 2021 स्थाई किता-2 प्रदर्श-3 एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र शिवशंकर उर्फ गोरीशंकर पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए पैत्रृक आराजी अवगत कराते हुए वादी व तर0 प्रतिवादीगण के पूर्वज बह्मदत्त व नन्दलाल के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही होना अवगत कराते हुए पूर्वज अपने जीवनकाल में काबिज होकर काश्त करते रहे होना तथा उनकी फौतगी पर वादी व तर0 प्रतिवादीगण को जरिये विरासत प्राप्त हुई होना व अपने-अपने हिस्सेनुसार काबिजकाश्त आराजी होना अवगत कराया तथा आराजी बाबत सहखातेदारान से कोई विवाद नहीं होना तथा कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में ही सहखातेदारान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया जाने का निवेदन किया। वर्तमान सैटलमेंट सम्वत् 2070 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गत खसरा नम्बरान से उक्त विवादित हाल खसरा नम्बरान पैमूद करते समय खिलाफ मौका व खिलाफ कानून व बिना किसी सक्षम अधिकारी है आदेश के वादी व तर0 प्रतिवादीगण के नामों के अंकन को हजफ कर उनके स्थान पर नामालूम पुत्र नामालूम दर्ज कर दिया जाना जो अंकन खिलाफ मौका व खिलाफ कानून किया गया है। इस बाबत वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2071 प्रदर्श-1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2068-2071 किता-4 प्रदर्श-2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 वर्ष 2021 स्थाई किता-2 प्रदर्श-3 एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र शिवशंकर उर्फ गोरीशंकर पेश किया जो शामिल पत्रावली है। इस प्रकार से वादी ने अपने वादपत्र को उक्तानुसार महत्वपूर्ण एवं सुसंगत दसतावेजात के माध्यम से साबित कर दिया है अवगत कराते हुए विवादित आराजी के बाबत वादी व तर0

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण को कब्जेकाश्त खातेदार घोषित किया जाकर हाल राजरव रिकॉर्ड में दर्ज नामालूम पुत्र नामालूम पुत्र के अंकन को हजफ किया जाकर वादी व तर0 प्रतिवादीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज रिकॉर्ड किए जाने का निवेदन किया।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन किए जाने पर उपरोक्त विवेचन के आधार पर महत्वपूर्ण एवं सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से वादी द्वारा अपने वादपत्र को पूर्ण रूप से साबित कर दिए जाने की स्थिति में वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा अपने वाद को महत्वपूर्ण एवं सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से साबित कर दिए जाने पर वाद को स्वीकार योग्य पाए जाने की स्थिति में वादी के आराजी खसरा नम्बर 451/0.06, 469/0.06, 567/0.77, 568/2.14 है0 का 43/180 भाग व ख0नं0 569/2.78 है0 का 43/180 भाग वाके ग्राम मनेठी तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के बाबत वादी तथा तर0 प्रतिवादीगण को हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नामालूम पुत्र नामालूम के अंकन को हजफ किए जाने के आदेश दिए जाते है तथा उनके स्थान पर वादी व तर0 प्रतिवादीगण के नाम का हिस्सेनुसार अंकन दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **28.07.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

28-7-2023

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (RAS)

दावा संख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
155 / 2022	28.06.2022	28.07.2023

//उनवान//

1 शिवशंकर उर्फ गोरीशंकर पुत्र ब्रहमदत्त जाति ब्राह्मण निवासी मनेठी तह0 मुण्डावर, अलवर।

:– वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, अलवर।

:– प्रतिवादी

2 अजीत
3 महेन्द्र
4 राजेश पुत्रान कैलाश
5 सन्तोष देवी पत्नि कैलाश
6 राजेश
7 राकेश
8 सुरेश
9 अशोक पुत्रान नरोतम उर्फ नरेश कुमार
10 गीतादेवी पत्नि नरोतम उर्फ नरेश कुमार
11 कांतीप्रसाद
12 अशोक कुमार पुत्रान जगदीश
13 संजय कुमार
14 विष्णु कुमार पुत्रान रामनिवास
15 बर्फीदेवी पत्नि रामनिवास
16 भानूप्रकाश
17 केवलराम पुत्रान ओमप्रकाश
18 सावत्री पत्नि ओमप्रकाश जातियान ब्राह्मण निवासीयान मनेठी तह0 मुण्डावर, अलवर।

:– तर0 प्रतिवादीगण

दावा– इश्तकरारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज।

उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

–: पर्चा डिक्री :–

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री **शशीकांत शर्मा** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.07.2023 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

Scanned with OKEN Scanner

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा अपने वाद को महत्वपूर्ण एवं सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से साबित कर दिए जाने पर वाद को स्वीकार योग्य पाए जाने की स्थिति में वादी के आराजी खसरा नम्बर 451/0.06, 469/0.06, 567/0.77, 568/2.14 है0 का 43/180 भाग व ख0नं0 569/2.78 है0 का 43/180 भाग वाके ग्राम मनेठी तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के बाबत वादी तथा तर0 प्रतिवादीगण को हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नामालूम पुत्र नामालूम के अंकन को हजफ किए जाने के आदेश दिए जाते है तथा उनके स्थान पर वादी व तर0 प्रतिवादीगण के नाम का हिस्सेनुसार अंकन दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान् अपना—अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 28.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

28-7-2023

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

Scanned with OKEN Scanner